न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—जीसीएमएस नं. 2022/65

1. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा उम्र 56 साल निवासी ग्राम रोडवाल तहसील बहरोड़ थाना नीमराना जिला अलवर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री जयराज टांटिया एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 18.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2012 से असंतुष्ट होकर आर्म्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी भारतीय सेना में कार्यरत था तथा दौराने सर्विस अपीलार्थी को शस्त्र लाईसेन्स संख्या एसडब्लूडीसी/4/2003/656 दिनांक 30.07.2003 जारी किया गया था, अपीलार्थी की लाईसेन्सिग ऑथोरिटी उस समय अतिरिक्त पुलिय आयुक्त लाईसेन्सिंग नई दिल्ली थी, लाईसेन्स जारी होने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा उक्त लाईसेन्स का कभी भी दुरूपयोग नही किया गया एवं रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी का लाईसेन्स दिनांक 15.04.2006, 15.04.2009, व 15.04.2012 तक के लिये समय—समय पर नवीनीकरण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया गया एवं अंतिम नवीनीकरण दिनांक 20.04.2009 को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लाईसेसिंग नई दिल्ली द्वारा किया गया था।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 05.04.2012 को जिला मजिस्ट्रेट अलवर के कार्यालय में लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वांछित शुल्क भी रूपये 150/— चालान के माध्यम से जमा करवाये गये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लाईसेसिंग नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र दिनांक 30.05.2012 के की अनापत्ति के बावजूद अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2012 के द्वारा नवीनीकरण प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी के लाईसेन्स के सम्बन्ध में एक पत्र दिल्ली सरकार को लिखा गया जिस पर अतिरक्त पुलिस आयुक्त लाईसेसिंग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.05.2012 को रेस्पोडेन्ट के कार्यालय का पत्र लिख कर अपीलार्थी के लाईसेन्स को प्रमाणित किया तथा उसके नवीनीकरण के सम्बन्ध मे अनापत्ति भी जारी की गई उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2012 पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नही थी तथा अपीलार्थी द्वारा इसकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत जारी पत्र दिनांक 21.12.2021 के द्वारा दस्तावेजात उपलब्ध करवाये जाने पर मिली है। इसलिये अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह जानबुझकर नही हुई तथा अपीलार्थी का केस गुणावगुण पर स्ट्रोंग है तथा अपील मेरिट्स पर निर्णय किया जाना न्याय संगत होगा इसलिये अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21–12/99/न्याय/2012/6777 दिनांक 19.06.2012 को निरस्त फरमाया जाकर शस्त्र लाईसेन्स नवीनीकरण का आदेश फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक VII–11016/8/07/आर्म्स दिनांक 15.03.2005 से प्राप्त निर्देशानुसार सैन्य ऑलोटी पालिसी के तहत दिनांक 01.06.1982 के पश्चात पीबी/एनपीबी शस्त्रों के लिए आर्म्स लाईसेन्स जारी नही किये जा सकते, के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2012 पारित किया गया है किन्तु अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से भी स्पष्ट जाहिर है। ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक प.21–12/99/ न्याय/2012/6777 दिनांक 19.06.2012 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त, 18/1/23